न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर,जालोर

पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार खेदड़

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर		1. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय प्रबंधक रिको जालोर राज.। 2. सरकार जरिये तहसीलदार, सांचोर

प्रकरण संख्या 01/2013

किस्मु कदमाः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितः–

01. श्री पुरूषोत्तम दवे विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

02. श्री सगताराम चौधरी विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 की ओर से

03. श्री नायब तहसीलदार,सांचोर अप्रार्थी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26·7·023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मौखुपुरा पटवार हल्का सांचोर में पुराना खसरा संख्या 663 रकबा 555 बीघा 8 बिस्वा का आया हुआ था जिसमें से 125 बीघा भूमि दिनांक 18.07.1983 को जरिये आदेश संख्या एफ.(4)(23) इण्डस्ट्रीयल 1/81 के मार्फत राज्य सरकार द्वारा रीको को आवंटन की थी तथा 125 बीघा भूमि पर रीको ने कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामान्तकरण जरिये म्युटेशन संख्या 126 के स्वीकृत होने पर भरा गया। नामान्तकरण दायर करते समय हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके की जांच कर नामान्तकरण दर्ज कर तरमीम किया, जो एक त्रुटी है, जिसकी दुरूस्ती करवाकर, शुद्धि करना न्याय संगत है। रीको को आवंटीत 125 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा संख्या राजस्व रेकर्ड अनुसार 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228 कुल खसरा 15 जिसका कुल रकबा 20.23 हैक्टर दर्ज है। किन्तु वास्तव में रेकर्ड एवं मौका स्थिति में भिन्नता है। क्योकि खसरा संख्या 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2219 कुल रकब 1.21 हैक्टर एवं इन्ही खसरा संख्या से लगते खसरा संख्या 2214 में से 1.74 हैक्टर भूमि अर्थात कुल रकबा 2.95 हैक्टर भूमि जिस पर रीको का कब्जा कभी नहीं रहा तथा उक्त भूमि पर अन्य लोगों व नगरपालिका का कब्जा रहा है। वास्तव में रीको के कब्जे में वक्त आवंटन से आज दिन तक खसरा संख्या 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 व 3589/2214 कुल रकबा 20.23 हैक्टर पर था, तथा खसरा संख्या 3589/2214 जो की मूल खसरा संख्या 2214 से सृजित किया गया है तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किया गया है। उस पर वक्त आवंटन से रीको का कब्जा है। तथा रीको की ईकाईयां संचालित है। जिसकी बिना जांच एवं मौके का मुआयना किये बिना भूलवश खसरा संख्या 3589/2214 रकबा 2.95 हैक्टर वर्तमान में नगरपालिका सांचोर के नाम से दर्ज है जिसकी दुरूस्ती करवाकर [illegible] 3589/2214 रकबा 2.95 हैक्टर को रीको के नाम इन्द्राज करव[illegible] 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2219 कुल रकबा 1.21 हैक्टर एवं [illegible] से लगते खसरा संख्या 2214 रकबा 16.95 हैक्टर में से 1.74 हैक्टर कुल रकबा 2.95 हैक्टर भूमि नगरपालिका सा[illegible] नाम से दर्ज करवानें का प्रार्थी हकदार है।

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2023.12.07 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार—

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दिनांक 15-1-013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 01 ता 02 को नोटीस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का विरोध एवं खण्डन किया गया है। जो शामिल प्रत्रावली किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया गया एवं निवेदन किया गया की पक्षकारान के रकबे में कोई कमी या बढत नही होती है एवं न ही राज्य सरकार को कोई हानी या नुकसान हो रहा है।न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार सांचोर से हस्तगत प्रकरण में मौका जांच एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई, जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्षकारान को सुना गया प्रत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया गया, अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र पत्र का विरोध करते हुए खारिज करने का निवेदन किया, तथा तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है तथा राजस्व रेकर्ड एवं जमांबदी में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा मौखुपुरा पटवार हल्का सांचोर में प्रार्थी नगरपालिका सांचोर के नाम दर्ज खसरा संख्या 3589/2214 रकबा 2.95 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 रिको के नाम दर्ज कर शुद्धि की जावें एवं मौजा मौखुपुरा के खसरा संख्या 2221, 2222, 2223 ,2224, 2225 ,2226, 2227 ,2228 ,2219 कुल रकबा 1.21 हैक्टर एवं इन्ही से लगते खसरा संख्या 2214 रकबा 16.95 हैक्टर में से 1.74 हैक्टर नगरपालिका सांचौर के कब्जा अनुसार व परिशिष्ठ नक्शा अनुसार कुल रकबा 2.95 हैक्टर भूमि नगरपालिका सांचोर के नाम दर्ज कर राजस्व नक्शा व जमांबदी में शुद्धिकरणकर अमल दरामद किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांचोर को जारी हो। पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26.7.023 को सरें इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

संजीव कुमार खेदड़ आर.ए.एस

सहायक कलेक्टर सांचौर

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2023.12.07 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner